फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण,

विवेचना / आज्ञायें

पृष्ठसंख्या 9

सहा0अभि0 / सचिव / उपाध्यक्ष महोदय,

कृपया दाहिनीं ओर संलग्न श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री कपूरचन्द्र जैन निवासी–196 नन्दराम चौक नई बस्ती, फिरोजाबाद निदेशक ओम रेजीडेन्सी प्रा0लि0 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रार्थी द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 81/2008 के सभी आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तथा आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में बन्धक रखे गये व्यवसायिक भूखण्ड सं0 40 को बन्धक अवमुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि श्री निर्मल कुमार जैन निदेशक ओम रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा मौजा दोलतपुर फिरोजाबाद के खसरा सं0 181, 83 व 90 जिसका कुल क्षेत्रफल 43130.00 वर्गमी0 में आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु आवासीय तलपट मानचित्र सं0 81/2008 दिनांक 13.10.2008 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसपर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2010 को उक्त आवासीय तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी। सभी अवशेष शुल्कों को इनके द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा किया जा चुका है वर्तमान में इनके ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी अवशेष नहीं है। वर्तमान में स्थल निरीक्षण के समय सभी आन्तरिक विकास/अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, नाली, बिजली, सीवरलाइन, पार्क वृक्षारोपण रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार ही पूर्ण कराये गये हैं। आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में भवन उपविधि में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन पर स्वंय एवं आन्तरिक विकास कार्यो/अवस्थापना सुविधाओं आदि एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत वास्तुविद श्री विनोद शर्मा जिनका सी0ए0न0–सी0ए0/95/18344 है, के हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवश्यक सभी शर्ते पूर्ण कर दी गयी है। स्थल का निरीक्षण सहायक अभियन्ता महोदय एवं सचिव महोदय द्वारा भी किया जा चुका है। अतः आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में बन्धक व्यवसायिक भूखण्ड सं0 40 को अवमुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उक्त आवासीय तलपट मानचित्र का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने एवं आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में बन्धक रखे गये व्यवसायिक भूखण्ड सं0 40 को अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान करने हेतु पत्रावली संस्तुति सहित प्रस्तुत है।

28/10/2015

28/10/15

30.10.2015

30/10/15

(एस0 एन0 प्रसाद)
सहायक अभियन्ता
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण
फिरोजाबाद

सचिव
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण
फिरोजाबाद

OM RESIDENCY Pvt. Ltd.

94119 61239
94121 68301
98370 65659

Regd. Off. : House No. G-1 (Ground Floor), South Extension
Part II, New Delhi- 110 049

Local Correspondence Address :
8/2, Vibhav Nagar
Firozabad (U.P.)

Site Office :
Nitya Enclave, Daulatpur
Jalesar Road (Near Stadium)
Firozabad (U.P.)

Ref. :

Date : 20.04.15

सेवामें,

✓ सचिव
फीरोजाबाद- शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण,
फीरोजाबाद ।

विषय: पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion certificate) हेतु ।

सन्दर्भ- स्वीकृत मानचित्र संख्या 84/2008, स्वीकृत दि० 25-4-2010, नित्या एन्कलेव, जलेसर रोड, (दौलतपुर), फीरोजाबाद ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उक्त मानचित्र के अनुक्रम में निष्पादित अनुबन्ध पत्र के अनुपालन में समस्त शर्तों ~~एवं~~ प्राविधानों का अनुसरण करते हुए समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

यह कि न्यायहित में उक्त मानचित्र से सम्बन्धित अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवम् व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 40 को मुक्त कर दिया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि Completion certificate (पूर्णता प्रमाण पत्र) जारी करने एवं व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 40 को बन्धन मुक्त किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

J.E. श्री सरोज कुमार / राजकपूर
स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्ताव
प्र० कार्यवाही
(signature)
24.6.2015

दिनांक 20.04.2015

प्रार्थी
(signature)
20.04.15
Director

परिशष्ट–

(पृष्ठ 5/)

भाग– द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मौजा दौलतपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद में स्थित भूखण्ड सं0 81,83, व 90 पर विकसित आवासीय योजना नित्या एन्क्लेब के सम्बन्ध में दिये गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण सरोज कुमार (अवर अभियन्ता), राजकपूर (अवर अभियन्ता), श्री एस0एन0 प्रसाद (सहायक अभियन्ता) व श्री रविन्द्र कुमार (सचिव) दिनांक 28.10.2015 को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुरूप पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

11.15	05/11/2015	5.11.2015
सरोज कुमार	राजकपूर	एस0एन0 प्रसाद
अवर अभियन्ता	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
(सरोजकुमार)	(राजकपूर)	(एस0एन0 प्रसाद)
अवर अभियन्ता	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
		फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण
		फिरोजाबाद

05/11/15

रविन्द्र कुमार

सचिव

सचिव

फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण

फिरोजाबाद

Copy Recieved

new latter